कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-09.11.2023

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग के अभियुक्त आफताब आलम को चोरी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 14 माह के कारावास व कुल 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 109/2022 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **आफताब आलम पुत्र मो0 सलीम निवासी- बजरडीहा धरारा मस्जिद के पास थाना भेलूपुर, वाराणसी** को थाना लंका पुलिस व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 09.11.2023 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त आफताब उपरोक्त को धारा- 379 भादवि में 14 माह का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 411 भादवि में 14 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाये एक साथ चलेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी